न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या –३, फिरोजाबाद।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– ३३२७/२०१६

रियाजुददीन पुत्र श्री अलीम, निवासी कश्मीरी गेट, थाना रामगढ़, जिला फिरोजाबाद

–––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य ––––––––––––––––––––––––विपक्षी

धारा – १८/२० एन०डी०पी०एस०एक्ट

थाना–रामगढ़, जिला फिरोजाबाद।

एस०एस०टी०नम्बर–१५९/२००६

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त रियाजुददीन पुत्र श्री अलीम निवासी उपरोक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र एस०एस०टी०नम्बर–१५९/२००६,धारा–१८/२० एन०डी०पी०एस०एक्ट में प्रस्तुत करते हुए मय शपथपत्र में कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त माननीय उच्च न्यायालय से पूर्व में जमानत पर था । आवेदक दिनांक २३–०८–१६ को पुत्री बीमार हो जाने के कारण न्यायालय में हाजिर नहीं हो सका। आवेदक के विरूद्ध वारण्ट जारी हो गये। आवेदक दिनांक १७–११–१६ से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक ने जानबूझ कर गलती नहीं की है। आवेदक भविष्य मेंऐसी गलती नहीं करेगा।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर था। दिनांक २३–०८–१६ को अनुपस्थित हो गया दिनांक १७–११–१६ से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक की पुत्री के बीमार हो जाने के कारण वह न्यायालय में नहीं आ सका । माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांकित ०४–११–१५ का भविष्य में पालन करेगा। मामले के सभी तथ्यो एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की जमानत याचना निम्न शर्तो के आधार पर स्वीकार की जाती है।

१– आवेदक /अभियुक्त के द्वारा दो–दो लाख रूपये का एक–एक निजी बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के दो स्थानीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल करे।

२–आवेदक/अभियुक्त इसकी अण्डरटेंकिग दे कि वह भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा जमानत में दी प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करेगा।

इनमें से यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन आवेदक करता है तो आवेदक/अभियुक्त की जमानत स्वतः निरस्त समझी जायेगी। आवेदक/अभियुक्त रिजाउददीन को जमानत पर छोड़ा जाए।

दिनांक १०–०१–२०१७

अपर सत्र न्यायाधीश,

कक्ष संख्या –३ फिरोजाबाद